97

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 798–चार/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–2–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 75/1998–99/निगरानी.

भेरूलाल आत्मज हंसराज कुलमी
निवासी ग्राम पीथमपुर जिला धार ....आवेदक

विरूद्ध

1– रूकमण बाई धर्मपत्नी हंसराज कुलमी
2– नागुलाल पिता हंसराज कुलमी
3– रामलाल पिता हंसराज कुलमी
4– कारूलाल पिता नागुलाल कुलमी
5– श्रीमती कंचनबाई पिता अनोखीलाल कुलमी
6– मनोरमा बाई पिता सीताराम कुलमी
7– सुन्दरलाल पिता राजाराम कुलमी
8– भेरूलाल आत्मज खेमराज आंजना
9– जगदीश आत्मज रतनलाल गुजर
10– इंदरसिंह आत्मज रतनलाल गुजर
निवासीगण ग्राम झांवल
तहसील व जिला मंदसौर
11– श्रीमती गुट्टुबाई धर्मपत्नी पन्नालाल गुजर
निवासी ग्राम नेतावली
तहसील व जिला मंदसौर
12– श्रीमती दुलीबाई धर्मपत्नी राजचन्द्र गुजर
निवासी ग्राम पालड़ी
तहसील व जिला मंदसौर
13– श्रीमती ढ़ेलाबाई धर्मपत्नी रामचन्द्र गुजर
निवासी ग्राम चीरमोलिया
तहसील व जिला मंदसौर ....अनावेदकगण

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, आवेदक
श्री आलोक शास्त्री, अभिभाषक, अनावेदक क. 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–2–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक के विरूद्ध दिनांक 17–8–1993 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 21–9–1993 को व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के पालन में बटवारा आदेश पारित किया गया, जिसमें आवेदक का हिस्सा भी प्रदर्शित किया गया । इस आदेश को निरस्त कराने हेतु आवेदक द्वारा संहिता की धारा 35 (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 7–4–94 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मंदसौर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–1–99 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5–2–2003 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक व अनावेदिका कमांक 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं और आवेदक पारिवारिक आवश्यकताओं के कारण ग्राम पीथमपुर धार निवास करने लगा था, इस बात की जानकारी उक्त तीनों सदस्यों को थी, इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन बटवारा प्रकरण में आवेदक को सूचना पत्र की तामीली पीथमपुर के पते पर न कराते हुए पैतृक निवास के पते पर सूचना पत्र भेजा गया तथा तामीली कुनिदा द्वारा गांव में न रहने की रिपोर्ट के बावजूद भी उसी पते पर चस्पा कराया जाकर एकपक्षीय रूप से प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा समंस

जारी करने के लिए राजस्व अधिकारियों और राजस्व न्यायालयों की प्रकिया तथा नियम धारा 41 अनुसूची 1 का पालन नहीं करने में त्रुटि की गई है ।

(2) नायब तहसीलदार द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था, अतः आवेदक की ओर से संहिता की धारा 35 (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है, क्योंकि संहिता की धारा 35 (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र तभी प्रस्तुत किया जाता है, जब प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया है, अतः नायब तहसीलदार द्वारा इस आधार पर आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है कि उनके द्वारा प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया है ।

(3) आवेदक द्वारा समय–सीमा में संहिता की धारा 35 (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी ।

(4) प्रकरण में न तो पटवारी से कोई प्रतिवेदन लिया गया और न ही उक्त दिनांक को बटवारा पत्र तैयार हुआ था और तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है ।

(5) आवेदक को आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदाय करने हेतु दिनांक 5–5–94 नियत किया गया था, किन्तु उक्त दिनांक को न तो आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदाय की गई और न ही आगामी तिथि नियत की गई । तदोपरान्त आवेदक द्वारा दिनांक 27–5–94 को नकल प्राप्त की गई और दिनांक 28–5–94 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अवधि विधान की धारा 14 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कर तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 35(3) के प्रचलित कार्यवाही में व्यतीत समय को माफ करने का अनुरोध किया गया था, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है और अपर आयुक्त द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर द्वितीय अपील निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(6) व्यवहार न्यायालय द्वारा जो जय पत्र प्रदान किया गया था वह आवेदक तथा अनावेदिका कमांक 1 लगायत 3 के लिए संयुक्त रूप से दिया गया था । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर आवेदक एवं अनावेदिका कमांक 1 लगायत 3 का नाम संयुक्त रूप से

अंकित होना चाहिए था । दीवानी न्यायालय में भूमि का बटवारा किए जाने का कोई आदेश नहीं था ।

(7) तहसील न्यायालय को संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों को समझे बगैर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भूल की गई है ।

(8) आवेदक को व्यवहार न्यायालय के आदेश से सम्पत्ति में स्वत्व प्राप्त हुए हैं, जिसे निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं था ।

उनके द्वारा प्रकरण में आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुण–दोष पर निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 1994 आर.एन. 265, 1994 आर.एन.439, 1977 आर.एन. 89, 1958 जे.एल.जे. 19, 1992 आर.एन. 365 एवं ए.आई.आर. 1990 सुप्रीम कोर्ट केस 89 (1) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश पारित कर दिये जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गई थी । ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 35 (3) का आवेदन पत्र निरस्त करने में नायब तहसीलदार द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक को तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी, परन्तु उसके द्वारा एकपक्षीय आदेश निरस्त करने हेतु विधि विपरीत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, इसलिए इस निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

5/ शेष अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त

ने आवेदक की ओर से संहिता की 35(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को अवधि बाह्य माना है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि आवेदक की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम आदेश भी पारित कर दिया गया है, इसलिए भी इस निगरानी में अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–2–2003 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर